D:\Sabla folder\Sabla.doc128

अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं,
2, जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक–एफ.3(78)पो/SAG/ICDS/2018/ 136870 - 137206 जयपुर, दिनांक 26/7/18

उपनिदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

बाल विकास परियोजना अधिकारी,
समेकित बाल विकास सेवाएं,
समस्त।

विषय :– किशोरी बालिकाओं के लिए योजना ब योजनान्तर्गत नवीन बेस लाईन सर्वे करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य में दिनांक 01.06.2018 से किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (SAG) का संचालन शुरू कर दिया गया हैं। योजनान्तर्गत 11–14 वर्ष की स्कूल नही जाने वाली बालिकाओं के सर्वांगीण विकास हेतु पोषणीय एवं गैर–पोषणीय गतिविधियों से लाभान्वित किया जाना है।

योजना के सफल कियान्वयन हेतु योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार 11–14 वर्ष की स्कूल नही जाने वाली बालिकाओं का बेस लाइन सर्वे प्रत्येक त्रैमास में अद्यतन किया जाना आवश्यक है। ताकि वास्तविक लाभार्थियो को योजना का लाभ हो सके।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि योजनान्तर्गत नवीन बेस लाइन सर्वे कराते हुए लाभार्थियो का डाटा एवं मासिक प्रगति रिपोर्ट लॉगिन एवं पासवर्ड आर.आर.एस.–आईसीडीएस का उपयोग कर राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के पोर्टल http://sag-rrs.nic.in. पर आवश्यक रूप से फिड करावें। इसके लिए निर्धारित प्रारूप support-sagrrs@gov.in. की सहायता ली जा सकती है। साथ ही नवीन बेस लाइन सर्वे की रिर्पोट adn.wcd@rajasthan.gov.in पर आवश्यक रूप से प्रेषित करावें।

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर